न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/2013	18.12.2013	28.6.2024

ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय, मीना नि0 डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी ––अपीलार्थी

बनाम

1. नेमजी पुत्र रामा, मीना निवासी मीनाबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. जीतेन्द्र गोयल पुत्र रामदयाल, महाजन नि0 अग्रवाल कोलोनी, गंगापुर सिटी
3. ग्राम पंचायत खानपुरबडौदा जरिए सरपंच ––प्रत्यार्थीगण
4. शिवचरण पुत्र रामसहाय, मीना नि0 डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

4/1सुमन पत्नी शिवचरण, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी

4/2रोहित पुत्र शिवचरण उम्र 4 साल नाबालिग विलायत सुमन पत्नी शिवचरण, मीना निवासी डिवस्या

4/3लक्ष्मीबाई पुत्री शिवचरण उम्र 5 साल नाबालिग विलायत सुमन पत्नी शिवचरण, मीना निवासी डिवस्या

5. भूरसिंह पुत्र रामसहाय, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
6. धर्मो देवी बेवा रामसहाय, मीना निवासी डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

––प्रफोर्मा प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 5.9.2009 ग्राम डिवस्या ग्राम पंचायत खानपुरबडौदा

उपस्थित :–श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रत्यार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी के पिता रामसहाय की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि साबिक ख0नं0 877 व 878 ग्राम डिवस्या में है। भू–प्रबन्ध में इसका नवीन नम्बर 1711 कायम किया गया और रामसहाय को साबिक के मुकाबले 11 एयर भूमि कम दी। यह 11 एयर भूमि हाल ख0नं0 1712 में लगा दी। यह खसरा नम्बर 1712 रमजानी, हुसैनी, रज्जाक, सुगरो की खातेदारी में दर्ज कर दिया। जिसके विरूद्ध रामसहाय ने न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के यहां दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत कर दिया। दौराने दावा रमजानी, हुसैनी, रज्जाक, सुगरो ने ख0नं0 1712 रेस्पोन्डेन्ट जितेन्द्र को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया। इस पर रामसहाय ने दावे में जितेन्द्र को भी पक्षकार बना दिया और जितेन्द्र के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें जितेन्द्र व अन्य को उक्त भूमि की रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखने के लिए पाबंद

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

कर दिया और इस आदेश की जितेन्द्र पर तामील हो गई। इस प्रकार से जितेन्द्र को इस भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति को रहन वय करने का कोई अधिकार नहीं रहा। रेस्पोन्डेन्ट जितेन्द्र ने अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद वादग्रस्त भूमि का हिस्सा 104/5200 रेस्पोन्डेन्ट नेमजी को विक्रय कर दिया। इस विक्रयपत्र की रामसहाय को कोई जानकारी कभी नहीं हुई। रामसहाय का स्वर्गवास हो गया, अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 लगायत 6 उसके वारिसान हैं जो दावे में रिकार्ड पर आ चुके हैं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर हाल ख0नं0 1712 का नामान्तरकरण दिनांक 5.9.2009 को रेस्पोन्डेन्ट नेमजी के हक में ग्राम पंचायत खानपुरबडौदा ने तस्दीक कर दिया। इस नामान्तरकरण तस्दीक की भी रामसहाय को अथवा अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुई। यह नामान्तरकरण पोशीदा तरीके से खोला गया है जो खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत है। ख0नं0 1712 के जुज रकबा 11 एयर पर अपीलार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। वक्त तस्दीक नामान्तरकरण कब्जे के बारे में भी किसी प्रकार की कोई तहकीकात व इन्क्वारी नहीं की गई। इस प्रकार से भी नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। दौराने दावा किसी भी प्रकार का भूमि का हस्तान्तरण कानूनन नहीं किया जा सकता है और यदि दौराने दावा हस्तान्तरण किया है तो वह धारा 52 टी0पी0 एक्ट के तहत वोईड है और ऐसे वोईड विक्रय पत्र के आधार पर भी कोई नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। मामले हाजा में दावा पूर्व से ही चल रहा है और अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हो रही है इस प्रकार से अदालत हाजा के आदेशों के विरूद्ध यह नामान्तरकरण खोला गया है जो निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार से दौराने दावा भूमि का हस्तान्तरण होने से एवं नामान्तरकरण तस्दीक होनेसे मल्टीप्लीसिटी आफ सूट्स भी बढती है, इसे रोकने के लिए भी नामान्तरकरण का आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 3.12.2013 को उक्त नेमजी व कुछ अन्य खरीददार मौके पर कब्जा करने आ गए और कहने लगे कि हम लोगों ने भूमि खरीद ली है, तब अपीलार्थी को विक्रय का पता चला और नामान्तरकरण की जानकारी हुई। तब अपीलार्थी ने दिनांक 3.12.2013 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, दिनांक 5.12.2013 को नकल प्राप्त हुई, यौम जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मंजूर फरमाई जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में हुआ नामान्तरकरण सं0 390 दिनांक 5.9.2009 ग्राम पंचायत खानपुरबडौदा निरस्त फरमाया जाकर तायौम निर्णय दावा रामसहाय बनाम रमजानी रिकार्ड की स्थिति पूर्व की भांति रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया एवं मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। कार्यालय जिला कलक्टर(भू0अ0) सवाईमाधोपुर के यहां से नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 5.9.2009 की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुई।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 5.9.09 ग्राम डिवस्या, फोटोकोपी प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका दि0 1.3.08 उनवानी मुकदमा रामसहाय बनाम जितेन्द्र वगैरा, न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी मय प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी रामसहाय की 11 एयर भूमि हाल ख0नं0 1712 में रमजानी, हुसैनीं, रज्जाक, सुगरो के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसकी दुरूस्ती व घोषणां का दावा रामसहाय ने न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी में प्रस्तुत किया। दौराने दावा रमजानी, हुसैनी, रज्जाक, सुगरो ने ख0नं0 1712 को प्रत्यार्थी जितेन्द्र को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया। इस पर अपीलार्थी ने दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया इसंमें जितेन्द्र व अन्य को उक्त भूमि की रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत् बनाए रखने के लिए पाबंद कर दिया इसके बाद भी जितेन्द्र ने इस भूमि को प्रत्यर्थी नेमजी को विक्रय कर दिया जिसकी अपीलार्थी रामसहाय को कोई जानकारी कभी नहीं हुई। इस प्रकार भूमि का हस्तान्तरण धारा 52 टी0पी0एक्ट के तहत वोईड है और ऐसे वोईड विक्रय पत्र के आधार पर कोई नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। मामले में दावा व टी0आई0 पूर्व में ही चल रहा है, टी0आई0 भी जारी हो रही थी उसके बाद भी नामान्तरकरण खोला गया है जो निरस्त होने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में अपीलार्थी के वकील ने न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2014–15 सप्लीमेंट्री पेज 476, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1264 प्रस्तुत किए हैं।

प्रत्यार्थी सं0 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण भलीभांति विधि अनुसार खोला गया है। अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थीगण के मध्य घोषणां खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा चल रहा है एवं दावे के चलते हुए अपील नामान्तरकरण की समरी प्रोसीडिंग स्टे की जानी चाहिए। अपने कथन के समर्थन में प्रत्याथी नं0 1 के विद्वान वकील ने न्याय

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

दृष्टान्त आर0आर0डी0 1985 पेज 170, आर0आर0डी0 (20) 2013 पेज 77 प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त इनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी जिस दावे की उनवानी रामसहाय बनाम रमजानी वगैरा की बात अपनी अपील में कर रहा है वह दावा अपीलार्थी ने दिनांक 16.1.2024 को वापिस ले लिया है इसलिए अब इस अपील को चलाए रखने का कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए अपील नामान्तरकरण खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 5.9.2009 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। इस नामान्तरकरण में जितेन्द्र गोयल पुत्र रामदयाल जाति महाजन निवासी अग्रसेन कोलोनी गंगापुर सिटी ने नेमजी पुत्र रामा मीना निवासी मीनाबडौदा को भूमि विक्रय की है। अपीलार्थी का कहना है कि न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी में विचाराधीन टी0आई0 प्रार्थना पत्र उनवानी रामसहाय बनाम जितेन्द्र वगैरा में दिनांक 1.03.08 को जारी टी0आई0 आदेश के विरूद्ध यह भूमि विक्रय हुआ है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण भी इसी विक्रय के आधार पर खोला गया है जो खारिज होने योग्य है।

इसके विपरीत रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि जिस दावे को लेकर अपीलार्थी अपील लेकर आया है वह दावा स्वयं अपीलार्थी ने दिनांक 30.1.2024 को वापिस ले लिया है। इस प्रकार जब मूल दावा ही विचाराधीन नहीं है तो यह अपील स्वतः ही खारिज होने योग्य है। इस कथन की पुष्टि में इन्होने आदेशिका दिनांक 30.1.2024 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मूल दावा वापिस लिया जा चुका है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिवत तरीके से भरा जाकर तस्दीक किया गया है इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

(अनूप सिंह)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)